

प्रकाश नाथ खन्ना व अन्य

बनाम

आयकर आयुक्त व अन्य

16 फरवरी,

[दोराई स्वामी राजू और अरिजीत पसायत, जे०जे०]

आयकर अधिनियम, 1961

धारा- 276 सी सी - विवरण प्रस्तुत करने में विफलता - वर्ष 1988-89 निर्धारण वर्ष की रिटर्न सन 1991 में निर्धारण पूरा होने के पूर्व दाखिल - धारा में अभियोजन - प्रयोज्यता अभिनिर्धारित : धारा में अभिव्यक्ति "नियत समय" का अर्थ है कि रिटर्न धारा - 139 की उप धारा - 1 के तहत निर्धारित समय के भीतर या धारा - 139 की उप धारा - 2 के नोटिस द्वारा दाखिल- यदि रिटर्न निर्धारण किये जाने से पूर्व धारा - 139 (4) के सन्दर्भ में दाखिल की जाती है तो यह धारा 139 (1) व (2) का उल्लंघन होगा क्योंकि इसमें समय निर्धारित किया गया है और रिटर्न को निर्धारित समय के भीतर दाखिल किया जाना है - यह विधि का विधायी इरादा है - और कि कर अपवचन के सम्बन्ध में विफलता का पता लगाना। उल्लिखित मौद्रिक सीमा से अधिक कर अपवचन धारा - 276 सी सी की प्रयोज्यता के लिए पूर्व शर्त नहीं है - जब किसी कर अपवचन

के पता लगने से पूर्व धारा - 139 (4) के तहत रिटर्न प्रस्तुत कर दी गई है तो यह नहीं कहा जा सकता कि धारा - 276 सी सी की प्रयोज्यता नहीं है - धारा - 139 (1), (2) व (4)।

धारा - 276 सी सी व 278-ई - रिटर्न दाखिल करने में विफलता - निर्धारण वर्ष - 1988-89 की रिटर्न वर्ष 1991 में दाखिल - आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा - अभिनिर्धारित: धारा - 278 ई , के अन्तर्गत न्यायालय आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा कर सकता है लेकिन अभियुक्त बचाव में इसके प्रतिकूल अभिवाक कर सकता है - तथ्यों पर, उच्च न्यायालय ने इन पहलुओं पर सही तरीके से व्यवहार नहीं किया - अभियुक्त विचारण पर आपराधिक मनःस्थिति के अनुपस्थिति का अभिवचन कर सकता है।

कानूनों की व्याख्या:

नियम की विरचना - विधायिका के विधायी आशय को उनके प्रयुक्त किये गये शब्दों में मिलना चाहिये - यदि विधिक उपबन्ध सरल और स्पष्ट है तो न्यायालय उसमें कुछ और नहीं पढ सकते - और कि न्यायालय व्याख्या करते समय केवल कानून की व्याख्या कर सकते हैं, कानून नहीं बना सकते।

सिद्धान्त की विरचना - काॅसस आेमीशस और विधि को समग्र रूप से पढना - विवेचन।

रिटर्न धारा का शीर्षक या हाशिया टिप्पणी - जिस पर आधारित है - अभिनिर्धारित: किसी सन्देह या भ्रम को स्पष्ट करने और विधायिका के आशय पर विचार करने के लिए इनका अवलम्ब लिया जा सकता है - धारा - 276 सी सी के उपबन्ध स्पष्ट हैं, इसलिये वहां भ्रम और सन्देह को स्पष्ट किये जाने की कोई गुंजाई श नहीं है - आयकर अधिनियम, 1961 - धारा - 276 - सी सी।

अपीलार्थियों व अन्य एक फर्म के भागीदारी हैं। निर्धारण वर्ष 1988-89 का आयकर रिटर्न 20.3.1991 को दाखिल किया गया था और मूल्यांकन 26.8.1991 को पूरा किया गया था। रिटर्न को विलम्ब से प्रस्तुत करने से आयकर अधिनियम की धारा - 276(1)(ए) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सहायक आयुक्त ने धारा - 276 सी सी के निबन्धनों के तहत एक परिवाद दाखिल किया जिन्होंने अपराध का प्रसंज्ञान लिया और तलबी जारी की। अपीलार्थियों ने कार्यवाही की विधिकता को चुनौती देते हुये रिट आवेदन पत्र प्रस्तुत किये। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज की। अतः वर्तमान अपीलें।

अपीलार्थियों ने कुल्लू वैली ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मामले का अवलम्ब लेते हुये कहा कि निर्धारण किये जाने से पूर्व किसी समय अन्तर्गत धारा -

139(4) प्रस्तुत किये गये रिटर्न को धारा - 139 (1) के तहत प्रस्तुत किये गये रिटर्न के रूप में माना जाना चाहिये। यह भी तर्क दिया कि रिटर्न नियत समय में निष्पादित की गई थी परिणामतः अधिनियम की धारा - 276 सी सी आकर्षित नहीं होती ; कि धारा - 276 सी सी के हाशिया टिप्पणी के मद्देनजर यह उन कर निधारकों के मामलों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने नियमित रूप से आय का आंकलन किया है और अधिनियम के तहत अनुज्ञेय समय के भीतर कोई नोटिस जारी हुये बिना ही स्वेच्छा से अपनी आयकर रिटर्न दाखिल की है। कि - धारा - 276 सी सी लागू होती है, जहां एक लाख रुपये से अधिक करापवंचन किया गया है और ऐसी विफलता का पता नहीं चला और वर्तमान मामले में करापवंचन और कर निर्धारण में विफलता का कोई पता नहीं चला है और निर्धारिती ने स्वेच्छिक रूप से रिटर्न दाखिल की है और आय को नहीं छिपाया गया है। करापवंचन का आरोप साक्ष्य पर आधारित नहीं है और अभिलेख पर विद्यमान सामग्री के प्रतिकूल है और अपीलार्थियों की कोई दुर्भावना नहीं थी।

प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं का खारिज किया जाना न्यायोचित था; क्योंकि कुल्लू वैली मामले का निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता क्योंकि धारा - 139 (1) और (4) भिन्न स्थितियों में व्यवहार करती है और यह नहीं कहा जा सकता

कि धारा - 139 (4) के निबन्धनों में रिटर्न का प्रस्तुत किये जाने का तात्पर्य धारा - 139 (1) की अपेक्षाओं की अनुपालना है और कि धारा - 278 ई खण्डनीय उपधारणा परिलक्षित करती है। अपीलार्थियों ने जो तथ्यात्मक पहलू उठाये हैं, उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही में विचार के लिये रख सकते हैं।

न्यायालय ने अपीलों को खारिज किया।

अभिनिर्धारित 1.1 धारा - 276 सी सी में प्रयुक्त किये गये महत्वपूर्ण निबन्धनों में से "नियत समय में" एक है। समय जिसमें रिटर्न को दाखिल किया जाना है, वह केवल धारा 139 उप धारा - 1 में या धारा - 139 की उप धारा - 2 द्वारा दिये गये नोटिस में इंगित है, ना कि धारा - 139 की उप धारा - 4 में। ऐसा होने पर भी यदि निर्धारण किये जाने से पहले धारा - 139 की उप धारा - 4 के सन्दर्भ में विवरण दाखिल की जाती है तो यह धारा - 139 की उप धारा - 1 के तहत निर्धारित समय में विवरण दाखिल नहीं करने के उल्लंघन को शिथिल नहीं करेगा अन्यथा अभिव्यक्ति "नियत समय में" अपनी प्रासंगिकता खो देगा और यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त अभिव्यक्ति का उपयोग बिना किसी उद्देश्य के किया गया था। "प्रत्यक्ष कर कानून संशोधन अधिनियम, 1987 द्वारा धारा - 142 की उप धारा - 1 के खण्ड - 1 को प्रतिस्थापित करने से पहले 1989 से प्रभावी 1.4.1989 में प्रयुक्त की गई अभिव्यक्ति धारा - 139 की उप धारा - 2 थी। प्रासंगिक

समय पर मूल्यांकन अधिकारी को उसमें बताये गये समय के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता के लिये एक नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया था, जिसका अर्थ है कि जो उल्लंघन उप धारा - 1 के सम्बन्ध में समय के भीतर विवरण प्रस्तुत नहीं करने या धारा - 139 की उप धारा - 2 के तहत दिये नोटिस में सांकेतिक समय के भीतर रिटर्न प्रस्तुत न करने को धारा - 276 सी सी के तहत आवेष्टित किया गया है। उक्त उल्लंघन माफ नहीं होगा, चाहे भले ही उप धारा - 4 के अनुसार रिटर्न दाखिल की गई हो। ऐसी याचिका को स्वीकार करने का मतलब यह होगा कि जिस व्यक्ति ने धारा - 139 की धारा - (1) या (2) के तहत निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उसे धारा - 139 (4) के तहत बहुत बाद में विवरण दाखिल करने से लाभ मिलेगा। यह विधायिका की मंशा नहीं हो सकती।

1.2 यह तर्क कि चूंकि धारा - 139 की उप धारा - (4) के तहत रिटर्न किसी अपवंचना करने का पता चलने से पहले दाखिल किया गया था, धारा - 276 सी सी की प्रयोज्यता नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा अभिवचन स्वीकार किया जाता है तो इसका यह मतलब हो सकता है कि किसी दिये गये मामले में जहां उल्लंघन हुआ है और जहां धारा - 139 की उप धारा - 1 के सन्दर्भ में या यहां तक कि उप धारा - 2 के सन्दर्भ में जारी किये गये नोटिस के जवाब में भी रिटर्न दाखिल नहीं

करने से उत्पन्न होने वाले परिणाम समाप्त हो जायेंगे। प्रासंगिक समय पर धारा - 139 (4)(ए) रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देती है, जहां उप धारा - 1 और उप धारा - 2 के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। उपखण्ड 'बी' में समय सीमा का प्रावधान किया गया था। धारा - 276 सी धारा - 139 की उप धारा - (1) और (2) के सम्बन्ध में "नियत समय" को सन्दर्भित करती है, ना कि उप धारा - 4 को। यदि विधान मण्डल का आशय उप धारा - 4 को भी शामिल करना होता तो केवल "धारा - 139" अभिव्यक्ति का उपयोग ही पर्याप्त होता। यह नहीं कहा जा सकता कि विधान मण्डल ने बिना किसी उद्देश्य या आशय के उप धारा (ए), उप धारा - (1) और (2) का महत्व दिया और उप धारा - 4 का स्पष्ट लोप किया, इसके पीछे कोई अर्थ और उद्देश्य नहीं है।

आयकर आयुक्त, पंजाब बनाम कुल्लू वैली ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (1970) 77 आई टी आर 518, प्रतिष्ठित।

1.3. क्या रिटर्न प्रस्तुत करने में जानबूझकर विफलता हुई थी, यह एक ऐसा मामला है जिस पर अभियोजन मामले से निपटने वाले न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक रूप से निर्णय लिया जाना है। धारा 278-ई के तहत न्यायालय को आपराधिक मनः स्थिति के अस्तित्व को मानना होगा और इसकी अनुपस्थिति को अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध के रूप में आरोपित

कार्य के सम्बन्ध में बचाव के रूप में आरोपी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है इसलिए, अपीलार्थियों द्वारा उजागर किए गए तथ्यात्मक पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया। यह विचारण का मामला है और अपीलार्थीगण निश्चित रूप से दोषी मानसिक स्थिति के अभाव की दलील देने के लिए स्वतंत्र हैं। [449 - F, 450 -C]

2.1. कानून में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अदालत ऐसे वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकती जो सरल और अभ्रामक हो। कानून विधायिका का एक आदेश है। किसी कानून में प्रयुक्त भाषा विधायी मंशा का निर्धारक कारक है। विरचना का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि विधान का आशय विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्द में ही पाया जाना चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या आशय है बल्कि सवाल यह है कि क्या कहा गया है। इसके अलावा, किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय अदालत केवल कानून की व्याख्या करती है और उस पर कानून नहीं बना सकती। यदि कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है तो यह विधायिका पर निर्भर है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो वह इसमें संशोधन, परिवर्तन या निरस्त कर सकती है।

पद्मा सुंदर राव (मृत) और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य,
[2002] 3) एस सी सी 533; डी. आर. वेंकटचलम बनाम उप. परिवहन

आयुक्त, [1977] 2 एस सी सी 273 और भारत संघ बनाम फिलिप टियागो डी गामा ऑफ वास्को डी गामा ए आई आर (1990) एस सी 981 संदर्भित किया गया है।

ऋषभ एगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम पी. एन. आर. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, [2000] 5 एस सी सी 515, पर भरोसा किया।

लेनिंग वैली कोल कं0 बनाम येन्सावेज 218 एफ आर 547, संदर्भित किया गया।

2.2. विरचना के दो सिद्धांत एक कैसस ओमिसस से सम्बन्धित है और दूसरा कानून को समग्र रूप से पढ़ने के सम्बन्ध में अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होते हैं। पहले सिद्धांत के तहत स्पष्ट आवश्यकता के मामले को छोड़कर और जब इसका कारण कानून के चारों कोनों में पाया जाता है, तब तक अदालत द्वारा एक कैसस ओमिसस प्रदान नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही एक कैसस ओमिसस का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और इसके लिए इसका उद्देश्य यह है कि किसी कानून या धारा के सभी हिस्सों को एक साथ समझा जाना चाहिए और धारा के प्रत्येक खंड को उसके संदर्भ और अन्य खंडों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए ताकि किसी विशेष प्रावधान की विरचना पूरे कानून को संगत बना सके। यह तब और अधिक होगा जब किसी विशेष उपवाक्य का शाब्दिक

विरचना ऐसे परिणाम का हो जो स्पष्ट रूप से बेतुका या असंगत हो जो विधायिका द्वारा आशयित नहीं हो सकते थे। [447-C-D]

आर्टेमियू बनाम प्रोकोपिउ, (1966) 1 क्यू बी 878 और ल्यूक बनाम आई आर सी, (1963) ए सी 557, संदर्भित,

2.3. प्रावधान की व्याख्या में किसी भी संदेह या अस्पष्टता को दूर करने और विधायी इरादे को समझने के लिए शीर्षक या हाशिया टिप्पणी पर भरोसा किया जा सकता है। धारा 276 - सी सी के प्रावधान स्पष्ट शब्दों में हैं, इसलिए किसी भी संदेह या अस्पष्टता को दूर करने की कोशिश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। [446-G; 448-B]

सी आई टी बनाम अबमेर बाई उमर भाई एंड कंपनी, ए ई आर (1950) एस सी 134 मुस्लिम वक्फ बोर्ड, राजस्थान बनाम राधा किशन और अन्य, (1979) 2 एस सी 468 और कलावती बाई बनाम सोई रवा बाई और अन्य, ए आई आर (1991) एस सी 1581, संदर्भित किया।

श्रीमती नंदिनी सत्पथी बनाम पी.एल. दानी और अन्य. ए आई आर (1978) एस सी 1025, का अवलम्ब लिया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार 1997 की आपराधिक अपील संख्या 1260-1261

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 21.11.96 के निर्णय एवं आदेश से सी.आर.एल. डब्ल्यू संख्या 15/92 और 20/94

अपीलार्थी मैसर्स राजीव त्यागी एण्ड एसोसियेट की ओर से जी.सी. शर्मा, अनूप शर्मा, राजीव त्यागी, एम. हुसैन।

प्रत्यर्थी बी के प्रसाद की आरे से आर पी भट्ट और आे पी श्रीवास्तव।

अरिजीत पसायत, जे. ये अपीलें आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 276 - सी सी के दायरे और दायरे के इर्द - गिर्द घूमती हैं और हिमाचल प्रदेश की एक डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए एक सामान्य निर्णय के खिलाफ निर्देशित हैं। उच्च न्यायालय ने इन दो अपीलों में अपीलार्थियों द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनकम टैक्स, सर्कल 1, शिमला के सहायक आयुक्त ने सी जे एम की अदालत में अधिनियम की धारा 276 - सी सी के तहत शिकायत दर्ज की, जिसने अपराध का संज्ञान लेकर प्रक्रिया जारी की थी। प्रत्येक रिट आवेदन में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिमला (संक्षेप में सी जे एम) की अदालत में लंबित कार्यवाही की वैधता को चुनौती दी गई थी।

तथ्यात्मक स्थिति लगभग निर्विवाद है और इसे संक्षेप में नोट करने की आवश्यकता है,

तीनों अपीलकर्ता मैसर्स कैलाश नाथ एंड एसोसिएट्स के नाम और शैली के तहत कारोबार करने वाली एक फर्म के भागीदार थे। तीन अपीलकर्ताओं के अलावा, दो अन्य व्यक्ति भागीदार थे और उनमें से एक श्री कैलाश नाथ पार्टनरशिप डीड दिनांक 1.4.1983 के अनुसार प्रबंध भागीदार थे। निर्धारण वर्ष 1988-89 के लिए आय का रिटर्न 31.7.1988 को या उससे पहले दाखिल किया जाना था, लेकिन वास्तव में 20.3.1991 को दाखिल किया गया था। अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन 26.8.1991 को पूरा किया गया। देर से रिटर्न जमा करने के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ अधिनियम की धारा 271(1)(ए) के तहत कार्यवाही शुरू की गई और शास्ति लगायी गयी। अधिनियम की धारा 276 - सी सी के संदर्भ में कार्यवाही भी शुरू की गई और सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष शिकायत दायर की गई। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संज्ञान लिया गया और प्रक्रिया जारी की गई। कार्यवाही की वैधता को चुनौती देते हुए रिट आवेदन दायर किए गए थे। आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। जो बिंदु उच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए थे, उन्हें वर्तमान अपीलों में दोहराया गया है।

श्री जी० सी० शर्मा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित, ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करने का आग्रह किया:

1. धारा 276 सी सी में आने वाली अभिव्यक्ति "उचित समय" में प्रस्तुत करने का अर्थ अधिनियम के तहत अनुज्ञेय समय के भीतर प्रस्तुत करना है। मूल्यांकन किए जाने से पहले किसी भी समय धारा 139(4) के तहत प्रस्तुत रिटर्न को धारा 139(1) के तहत प्रस्तुत रिटर्न के रूप में माना जाना चाहिए। पंजाब आयकर आयुक्त वाई. कुल्लू वैली ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, (1970) 77 आई टी आर 518 में इस न्यायालय ने ऐसा कहा था। भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (संक्षेप में 'पुराने अधिनियम') की धारा 22(1) और 22(3) के संदर्भ में, जो अधिनियम की धारा 139(1) और धारा 139(4) के समरूप हैं, का मतलब यह है कि रिटर्न "नियत समय" में प्रस्तुत की गई थी और परिणामस्वरूप धारा 276 सी सी लागू नहीं होती है।

2. धारा 276 सी सी (i) के प्रावधान उन करदाताओं के मामलों पर लागू होने का इरादा नहीं रखते, जिनका नियमित रूप से आयकर मूल्यांकन किया गया है और जिन्होंने स्वेच्छा से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए कोई नोटिस जारी किए बिना ही अपनी आय का रिटर्न दाखिल किया है। अधिनियम के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञेय समय के भीतर, व्याख्या को संसद के समक्ष धारा पेश होने पर रखे गए सीमांत शीर्षक और व्याख्यात्मक ज्ञापन से समर्थन मिलता है।

3 (i) प्रावधान केवल वहीं लागू होता है जहां विफलता का पता न चलने पर अपवंचित की गई कर की राशि 1,00,000 रुपये से अधिक हो। इस मामले में कर अपवंचन की दृष्टि से कोई विफलता सामने नहीं आई है। निर्धारिती ने स्वेच्छा से रिटर्न जमा किया है, अग्रिम कर और स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान किया है।

3 (ii) इस मामले में कोई आय छिपाई नहीं गई है और कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है या लगाया जा सकता है। शिकायत में लगाया गया आरोप कि 5,68,039 रुपये की कर अपवंचन हुई है, बिना किसी सबूत पर आधारित है और अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों के विपरीत है।

4. याचिकाकर्ताओं ने जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में दलील दी कि रिटर्न जमा करने में देरी अपरिहार्य थी, क्योंकि जिस फर्म में वे भागीदार थे, उससे लाभ का उनका हिस्सा उस फर्म के प्रबंध भागीदार द्वारा सूचित नहीं किया गया था जो इसके खाते के लिए जिम्मेदार था। उनकी कोई दुर्भावना नहीं थी।

5. अपमानजनक आचरण और आपराधिक मनःस्थिति स्थापित किए बिना महज रिटर्न दाखिल करने में देरी से याचिकाकर्ता को अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

6. याचिकाकर्ता पर धारा 139(1) के तहत ब्याज लगाया गया है और साथ ही अधिनियम की धारा 271 (1)(a) के तहत दंड की कार्यवाही भी की गई है, उसी चूक के लिए आगे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय का रिट याचिकाओं को खारिज करने का निष्कर्ष उचित है। कुल्लू घाटी के मामले (यथोक्त) के निर्णय का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है और वास्तव में इसे एक अलग स्थिति में पारित किया गया था। धारा 139 की उपधारा (1) और (4) अलग-अलग स्थितियों से सम्बन्धित है और यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 139(4) के संदर्भ में दाखिल रिटर्न का मतलब धारा 139 की उपधारा (1) में बताई गई आवश्यकताओं का अनुपालन होगा। आगे यह भी निवेदन किया कि धारा 278 - ई एक उपधारणा व्यक्त करती है जो खंडन योग्य है और अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तथ्यात्मक पहलुओं को विद्वान सीजेएम के समक्ष कार्यवाही में विचार के लिए रखा जा सकता है।

चूँकि अपीलों का अंतिम परिणाम धारा 139 की उप-धाराओं (1) और (4) की पृष्ठभूमि में धारा 276 - सी सी के दायरे और दायरे के इर्द - गिर्द घूमता है। उपरोक्त प्रावधानों को उद्धृत करना उचित होगा, क्योंकि वे उसी प्रासंगिक समय बिंदु स्थिति में थे।

“धारा 276 - सी सी आय की रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता - यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर नियत समय पर आय की रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जिसे उसे धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत या धारा 139 की उप-धारा (2) या धारा 148 के तहत दिए गए नोटिस द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है, तो वह दंडनीय होगा -

(i) ऐसे मामले में जहां कर की राशि, जो विफलता का पता नहीं चलने पर अपवंचित की गई होती, एक लाख रुपये से अधिक है, तो उस अवधि के लिए कठोर कारावास जो छह महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना;

(ii) किसी अन्य मामले में, कारावास से, जिसकी अवधि तीन महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना होगा,

बशर्ते कि धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत उचित समय पर आयकर की रिटर्न दाखिल करने में विफलता के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(i) 1 अप्रैल 1975 से पहले शुरू होने वाले किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए; या (ii) 1 अप्रैल 1975 को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी मूल्यांकन वर्ष के लिए, यदि

(अ) मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से पहले उसके द्वारा रिटर्न प्रस्तुत की जाती है, या

(ब) नियमित मूल्यांकन पर निर्धारित कुल आय पर उसके द्वारा देय कर, भुगतान किए गए अग्रिम कर, यदि कोई हो, और स्रोत पर कटौती किए गए किसी भी कर को घटाकर, तीन हजार रुपये से अधिक नहीं होता है ।□

धारा 139 : आयकर का रिटर्न-

(1) प्रत्येक व्यक्ति, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर के दायरे में नहीं आती है, तो उसे पिछले वर्ष के दौरान निर्धारित फार्म में अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का रिटर्न, निर्धारित तरीके से सत्यापित करके दाखिल करना होगा और ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए गये हैं दिये जा सकेंगे।

(अ) प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, जिसकी कुल आय, या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के तहत

मूल्यांकन योग्य है, में व्यवसाय या पेशे से कोई भी आय शामिल है, जो कि पिछले वर्ष की समाप्ति से चार महीने पहले है या जहां एक से अधिक पिछले वर्ष हैं, पिछले वर्ष के अंत से जो मूल्यांकन वर्ष के प्रारंभ होने से पहले समाप्त हो गया, या मूल्यांकन वर्ष के जून के 30 वें दिन से पहले, में से जो भी बाद का हो;

(ब) हर दूसरे व्यक्ति के मामले में, मूल्यांकन वर्ष के जून के 30 वें दिन से पूर्व

बशर्ते कि, निर्धारित तरीके से किए गए आवेदन पर, मूल्यांकन अधिकारी अपने विवेक से, रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ा सकता है, और इस तरह से तारीख इतनी बढ़ाए जाने के बावजूद भी, उप धारा - 8 के प्रावधानों के अनुसार ब्याज प्रभार्य होगा।

(आई ए) उप - धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी व्यक्ति को उस उप-धारा के तहत अपनी आय या किसी अन्य व्यक्ति की आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी कुल आय के संबंध में वह इस अधिनियम के तहत मूल्यांकन योग्य है, यदि उसकी आय या, जैसा भी मामला हो, पिछले वर्ष के दौरान ऐसे अन्य व्यक्ति की आय में केवल "वेतन" या आय प्रमुख के तहत प्रभार्य आय में शामिल थी। उस शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य और साथ ही धारा 80 एल की

उपधारा (1) के किसी एक या अधिक खंड (i) से (ix) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय और निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, जैसे कि -

(ए) जहां वह या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति पिछले वर्ष के दौरान किसी कंपनी में कार्यरत था, वह या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी का निदेशक या कंपनी में शेयरों का लाभकारी मालिक नहीं था (शेयर नहीं) की एक निश्चित दर का हकदार है (लाभांश चाहे लाभ में भाग लेने के अधिकार के साथ या उसके बिना) मतदान शक्ति का कम से कम बीस प्रतिशत होना चाहिए;

(बी) उसकी आय या "वेतन" शीर्षक के तहत ऐसे अन्य व्यक्ति की आय, मौद्रिक भुगतान के माध्यम से प्रदान नहीं किए गए सभी लाभों या सुविधाओं के मूल्य को छोड़कर, चौबीस हजार रुपये से अधिक नहीं है;

(सी) धारा 80 एल की उप - धारा (1) के खंड (i) से (ix) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की राशि, यदि कोई हो, कुल मिलाकर, कटौती के रूप में स्वीकार्य अधिकतम राशि से अधिक नहीं है उस धारा के तहत मामला; और

(डी) "वेतन" शीर्षक के तहत प्रभार्य आय से धारा 192 के तहत स्रोत पर कटौती योग्य कर उस आय से काट लिया गया है।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो निर्धारण अधिकारी की राय में, इस अधिनियम के तहत मूल्यांकन योग्य है, चाहे उसकी अपनी कुल आय पर या पिछले वर्ष के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय पर, निर्धारण अधिकारी, इससे पहले प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत में, उसे एक नोटिस जारी करे और नोटिस की सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर, उसकी आय या पिछले अवधि के दौरान ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा के साथ उसे नोटिस जारी करेगा, कि वह निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से सत्यापित और ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किया जा सकता है प्रस्तुत करे :

बशर्ते कि, निर्धारित तरीके से किए गए आवेदन पर, मूल्यांकन अधिकारी अपने विवेक से, रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ा सकता है, और इतनी तारीख बढ़ाए जाने के बावजूद, उप धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार ब्याज लगाया जाएगा।

(3) यदि किसी व्यक्ति को उप-धारा (2) के तहत नोटिस नहीं भेजा गया है, तो उसे "व्यापार या पेशे के लाभ और लाभ" शीर्षक के तहत या "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के तहत किसी पिछले वर्ष में नुकसान हुआ है और दावा करता है कि नुकसान या उसके किसी हिस्से को धारा 72 की उप-धारा (1), या धारा 73 की उप-धारा (2), या उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के तहत आगे बढ़ाया जाना चाहिए। धारा 74, या धारा 74 ए की उप-

धारा (3), वह उप-धारा (1) के तहत अनुमत समय के भीतर या प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के जुलाई के इकतीसवें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है। पिछले वर्ष जिसके दौरान हानि हुई थी, निर्धारित प्रपत्रा में हानि की रिटर्न और निर्धारित तरीके से सत्यापित और ऐसे अन्य विवरण शामिल होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं, और इस अधिनियम के सभी प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि यह उप धारा (1) के तहत रिटर्न था।

(4) (ए) कोई भी व्यक्ति जिसने उप - धारा (1) या उप - धारा (2) के तहत उसे दिए गए समय के भीतर रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है, मूल्यांकन किए जाने से पहले, किसी भी पिछले वर्ष के लिए रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है। खंड (बी) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय, और उपधारा (8) के प्रावधान ऐसे हर मामले में लागू होंगे,

(बी) खंड (ए) में निर्दिष्ट अवधि होगी-

(i) जहां रिटर्न 1 अप्रैल 1967 को या उससे पहले शुरू होने वाले किसी भी मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष से संबंधित है, ऐसे मूल्यांकन वर्ष के अंत से चार साल पहले;

(ii) जहां रिटर्न 1 अप्रैल 1968 को या उससे पहले शुरू होने वाले किसी भी मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष से संबंधित है, ऐसे मूल्यांकन वर्ष के अंत से तीन साल पहले;

(iii) जहां रिटर्न किसी अन्य मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष से संबंधित है, ऐसे मूल्यांकन वर्ष के अंत से दो वर्ष।

(4 ए) प्रत्येक व्यक्ति को ट्रस्ट या अन्य कानूनी दायित्व के तहत पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए या आंशिक रूप से केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय प्राप्त होती है, या आय धारा 2 के उपधारा 24 के उप-खंड (iia) में संदर्भित स्वैच्छिक योगदान के रूप में प्राप्त होती है। यदि कुल आय जिसके संबंध में वह एक प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में मूल्यांकन योग्य है (इस प्रयोजन के लिए कुल आय धारा 11 और 12 के प्रावधानों को प्रभावी किए बिना इस अधिनियम के तहत गणना की जा रही है) अधिकतम से अधिक है वह राशि जो आयकर से प्रभार्य नहीं है, निर्धारित प्रपत्रा में पिछले वर्ष की ऐसी आय का रिटर्न प्रस्तुत करें और निर्धारित तरीके से सत्यापित करें और ऐसे अन्य विवरण प्रस्तावित करें जो निर्धारित किए जा सकते हैं और इस अधिनियम के सभी प्रावधान, जहां तक हो सके, इसे ऐसे लागू किया जाए जैसे कि यह उप-धारा (1) के तहत दाखिल किया जाने वाला रिटर्न हो।

(4 बी) प्रत्येक राजनीतिक दल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चाहे वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी) सचिव के रूप में जाना जाता है या किसी अन्य पदनाम से जाना जाता है), यदि राजनीतिक दल के संबंध में कुल आय निर्धारण योग्य है (धारा 13 ए के प्रावधानों को प्रभावित किए बिना इस

उद्देश्य के लिए कुल आय की गणना की जा रही है) अधिकतम राशि से अधिक है जिस पर आयकर नहीं लगता है, निर्धारित फार्म में पिछले वर्ष की ऐसी आय का रिटर्न प्रस्तुत करें और सत्यापित करें निर्धारित तरीके और ऐसे अन्य विवरणों को प्रस्तावित करें जो निर्धारित किए जा सकते हैं और इस अधिनियम के सभी प्रावधान, जहां तक संभव हो, लागू होंगे जैसे कि यह उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत किया जाने वाला रिटर्न था।

(5) यदि किसी व्यक्ति ने उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत रिटर्न दाखिल किया है, तो उसे उसमें कोई चूक या कोई गलत बयान मिलता है, वह मूल्यांकन किए जाने से पहले किसी भी समय संशोधित रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है।

कुल्लू वैली (यथोक्त) का मामला पुराने अधिनियम की धारा 22 की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया था। इस न्यायालय की इस टिप्पणी पर विशेष जोर दिया गया है कि पुराने अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) उसकी उप-धारा (1) के परन्तुक के प्रकृति में थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निर्णय बिल्कुल अलग संदर्भ में दिया गया था। धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान किए गए समय के बाद दाखिल किए गए रिटर्न के नुकसान के उपचार से संबंधित प्रश्न था। जिस अवधारणा पर भरोसा किया गया है उसे संदर्भ से बाहर जाकर नहीं पढ़ा जा सकता।

कुल्लू वैली (यथोक्त) के मामले में बहुमत का विचार यह था कि पुराने अधिनियम की धारा 22(3) (अधिनियम की धारा 139(4) के अनुरूप) केवल धारा 22(1) (धारा 139(1)) का क्रमशः एक परन्तु प्रावधान है, और यदि धारा 22(3) का अनुपालन किया जाता है, तो धारा 22(1) का अनुपालन किया जाना चाहिए और यदि धारा 22 (3) का अनुपालन किया गया है, तो धारा 22(2 ए) की आवश्यकता (तत्संबंधी) अधिनियम की धारा 139(3) से संतुष्ट होंगे। इस प्रकार, यह अवधारित किया गया कि सुनिश्चित नुकसान को अगले वर्षों में आगे बढ़ाया और समायोजित किया जा सकता है, चाहे भले ही पुराने अधिनियम की धारा 22 (1) के तहत निर्धारित समय के भीतर स्वतः संज्ञान रिटर्न दाखिल नहीं किया गया हो।

यह निर्णय वैचारिक रूप से भिन्न स्थिति में दिया गया था और जहां तक वर्तमान विवाद का सम्बन्ध है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

कुल्लू घाटी (यथोक्त) के मामले में मूल मुद्दा पुराने अधिनियम की धारा 22(1) या 22(3) के तहत दायर रिटर्न के आधार पर नुकसान का निर्धारण था। अधिनियम में, धारा 80 विशेष स्थिति के सम्बन्ध में व्यवहार करती है।

अधिनियम में मूल धारा 80 इस प्रकार है:

"इस अध्याय में किसी भी बात के बावजूद, कोई भी नुकसान जो धारा 139 के तहत दायर रिटर्न के अनुसरण में निर्धारित नहीं किया गया है, उसे धारा 72 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत आगे बढ़ाया और समायोजित किया जाएगा। धारा 73 या धारा 74 की उपधारा (1)"

1 अप्रैल, 1985 से कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा, "धारा 139 के तहत" (जोर देने के लिए रेखांकित) शब्दों को धारा 139 "उप-धारा (1) के तहत अनुज्ञेय समय के भीतर शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया था या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो आयकर अधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जा सकती है।" (जोर देने के लिए रेखांकित)

कराधान कानून (संशोधन और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 द्वारा धारा 139(3) के संशोधन के परिणामस्वरूप आयकर अधिकारी की रिटर्न दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति 1 अप्रैल, 1987 से छीन ली गई।

एक बार फिर, प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन अधिनियम), 1987 द्वारा 1 अप्रैल, 1989 को शब्द "धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत अनुज्ञेय समय के भीतर या आयकर अधिकारी द्वारा अनुज्ञात अतिरिक्त समय के भीतर" शब्दों को "धारा 139 के उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।"

कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकता है जो सरल और स्पष्ट है। कानून विधायिका का एक आदेश है। किसी कानून में प्रयुक्त भाषा विधायी मंशा का निर्धारक कारक है। विरचना का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि विधान का आशय विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों में ही पाया जाना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या आशय है बल्कि सवाल यह है कि क्या कहा गया है। विद्वान न्यायाधीश हैंड ने कहा, “कानून का अर्थ यूक्लिड के प्रमेयों के रूप में नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे उद्देश्यों की कुछ कल्पना के साथ लगाया जाना चाहिए।” (लेनिघ वैली कोल कम्पनी बनाम येनसावेज, (218 एफ आर 547) को देखें। इस अवधारणा को यूनियन आफ इंडिया बनाम फिलिप टियागो डी गामा, वेदम वास्को डी गामा, ए आई आर (1990) एस सी 981, और पदमा सुंदर राव (मृतक) और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य, [2002], 3 एस सी सी 533 में दोहराया गया था।

डी. आर. वेंकटचलम बनाम उप परिवहन आयुक्त, [1977] 2 एस सी सी 273 में यह अवधारित किया गया कि अदालतों को स्वयं की वैचारिक संरचना या योजना की उनकी अपनी पूर्वनिर्धारित धारणाओं के आधार पर एक प्रावधान का अर्थ है जिसमें प्रावधान की व्याख्या की जानी है, जो कुछ

हद तक फिट बैठता हो, की प्राथमिकता के निर्धारण के जोखिम से बचना चाहिए। वे व्याख्या की आड़ में विधायी कार्य को हड़पने के हकदार नहीं हैं।

किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है, उस पर कानून नहीं बना सकता। यदि कानून के किसी प्रावधान का उपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है और यदि आवश्यक समझा जाए, तो यह विधायिका का काम है कि वह इसमें संशोधन, परिवर्तन या निरसन करे। (देखें ऋषभ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम पी.एन.बी. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, [2000] 5 एस सी सी 515) विधायी चूक के विषय को न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया को नहीं सौंपी जा सकता।

निर्माण के दो सिद्धांत - एक कैसस ओमिसस से संबंधित और दूसरा कानून को समग्र रूप से पढ़ने के संबंध में - अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होते हैं। पहले सिद्धांत के तहत स्पष्ट आवश्यकता के मामले को छोड़कर और जब इसका कारण कानून के चतुष्कोणों में पाया जाता है, तब अदालत द्वारा एक कैसस ओमिसस को प्रदान नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही एक कैसस ओमिसस का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और इसके लिए इसका उद्देश्य यह है कि किसी कानून या धारा के सभी हिस्सों को एक साथ समझा जाना चाहिए और धारा के प्रत्येक खंड को उसके संदर्भ और अन्य खंडों के संदर्भ में समझा जाना

चाहिए ताकि किसी विशेष प्रावधान पर की जाने वाली विरचना पूरे कानून को एक संगत अधिनियम बन सके। यह तब और अधिक होगा जब किसी विशेष खंड का शाब्दिक निर्माण स्पष्ट रूप से बेतुके या असंगत परिणाम देता है जो विधायिका द्वारा अपेक्षित नहीं हो सकता है। “एक अनुचित परिणाम उत्पन्न करने का आशय हो।” विद्वान न्यायाधीश डैकवर्ट्स ने कहा, आर्टेमियू बनाम प्रोकोपिउ, (1966) 1 क्यू बी 878 में कहा, कि “यदि कोई अन्य विरचना उपलब्ध है तो इसे किसी कानून में लागू नहीं किया जाना चाहिए।” जहां शब्दों को शाब्दिक रूप से लागू करना कानून के स्पष्ट इरादे को हरा देगा और पूरी तरह से अनुचित परिणाम देगा”, हमें “शब्दों के साथ कुछ हिंसा करनी होगी” और इस तरह उस स्पष्ट इरादे को प्राप्त करना होगा और एक तर्कसंगत विरचना करनी होगी। लार्ड रीड ने ल्यूक बनाम आई आर सी, (1963) ए सी 557 एसी पृष्ठ 577 पर यह भी कहा कि “यह कोई नई समस्या नहीं है, हालांकि हमारे प्रारूप का मानक ऐसा है कि यह शायद ही कभी उभरता हो।”

प्रावधान की व्याख्या में किसी भी संदेह या अस्पष्टता को दूर करने और विधायी इरादे को समझने के लिए अनुभाग के शीर्षक या सीमांत नोट पर भरोसा किया जा सकता है। सी आई टी बनाम अहमद भाई उमर भाई एंड कंपनी ए आई आर (1950) एस सी 134 में बलराज कुँवर बनाम जगत पाल सिंह, आई एल आर 26 इला. 393 (पी सी), में लार्ड

मैकनाघटेन द्वारा व्यक्त किए गए विचार का उल्लेख करने के बाद, यह माना गया कि भारतीय कानून में हाशिया टिप्पणी, जैसा कि संसद के किसी अधिनियम को कानून बनाने के उद्देश्य से संदर्भित नहीं किया जा सकता है, इसी तरह का विचार मुस्लिम वक्फ बोर्ड, राजस्थान बनाम राधा किशन व अन्य [1979] 2 एस सी सी 468 में और कलावती बाई बनाम सोई रया बाई व अन्य, ए आई आर (1991) एस सी 1581 व्यक्त किया गया था। एक सीमांत नोट निश्चित रूप से अनुभाग के मुख्य भाग के अर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकता है यदि वहां प्रयुक्त भाषा स्पष्ट है (देखें श्रीमती नन्दिनी सत्पथी बनाम पी एल दानी और अन्य, ए आई आर (1978) एस सी 1025) वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा 276 - सी सी के प्रावधान स्पष्ट शब्दों में हैं। किसी भी संदेह या अस्पष्टता को दूर करने की कोशिश करने की कोई गुंजाइश नहीं है जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आग्रह करते हुये व्याख्या की मांग की है, मांग की गयी व्याख्या धारा 276 - सीसी को ऐसे व्यक्त करेगी कि यदि कोई रिटर्न धारा 139 की उपधारा (4) के तहत दायर किया गया है तो इसका मतलब है कि धारा 139 की उपधारा (1) के अपेक्षाओं की अनुपालना हो चुकी है, अनेकानेक कारणों से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।

धारा 276 - सी सी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है "उचित समय में" जिस समय के भीतर रिटर्न दाखिल किया जाना है वह केवल

धारा 139 की उप-धारा (1) में दर्शाया गया है, धारा 139 के उप-धारा (4) में नहीं। ऐसा होने पर, भले ही रिटर्न धारा 139 की उप-धारा (4) के अनुसार दाखिल किया गया हो, वह धारा 139 के उप-धारा (1) के तहत निर्धारित नियत समय में रिटर्न दाखिल न करने के उल्लंघन को कम नहीं करेगा। अन्यथा, “उचित समय में” अभिव्यक्ति का उपयोग इसकी प्रासंगिकता खो देगा और यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त अभिव्यक्ति का उपयोग बिना किसी उद्देश्य के किया गया था। अभिव्यक्ति को “धारा 142 के उप धारा 1 के खंड (प) में प्रतिस्थापन से पहले प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 1.4.1989 से प्रवर्तित, धारा 142 की अभिव्यक्ति का प्रयोग धारा 139 की उप-धारा (2) में था। संबंधित समय पर मूल्यांकन अधिकारी को नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया था, जिसमें निर्दिष्ट समय के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती थी। इसका मतलब है कि धारा 276 - सी सी के अंतर्गत आने वाले उल्लंघन समय के भीतर रिटर्न प्रस्तुत न करने से संबंधित धारा 139 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत दिए गए नोटिस में निर्दिष्ट से संबंधित है। उक्त उल्लंघन के लिए कोई माफी नहीं है, भले ही उप-धारा (4) के संदर्भ में रिटर्न दाखिल किया गया हो, ऐसे तर्क को स्वीकार करने का मतलब यह होगा कि जिस व्यक्ति ने धारा 139 की उप- धारा (1) या (2) के तहत निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उसे धारा 139 (4)

के तहत बहुत बाद में रिटर्न दाखिल करने से लाभ मिलेगा। यह निश्चित रूप से विधायी मंशा नहीं हो सकती।

एक और दलील जिस पर कुछ हद तक ज़ोर दिया गया था, वह यह थी कि धारा 276 - सी सी के प्रावधान केवल तभी लागू होते हैं जब कर अपवंचन के संबंध में विफलता का पता चलता है। चूंकि धारा 139 की उप-धारा (4) के तहत रिटर्न किसी भी कर अपवंचन का पता चलने से पहले दाखिल कर दिया गया था, इसलिए इस प्रावधान का कोई अनुप्रयोग नहीं है। मौजूदा मामले को "किसी अन्य मामले में" अभिव्यक्ति द्वारा आवेष्टित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि यह तर्क आकर्षक है फिर भी इसमें कोई दम नहीं है।

प्रावधान में दो स्थितियां विद्यमान हैं। पहली स्थिति वह है जहां किसी विशेष राशि के कर अपवंचन से जुड़ी विफलता का पता चलता है। उक्त उल्लंघन के लिए कठोर दंडात्मक परिणाम हैं। दूसरी स्थिति में दण्ड का मापमान है। फिर दूसरे में दो स्थितियां समाहित हैं। प्रथम स्थिति वह है जहां किसी विशिष्ट राशि के कर अपवंचन का पता चलता है। ऐसी उल्लंघन के कठोर दण्डिक परिणाम के उपबंध किये गये हैं। दूसरी स्थिति जैसा कि उपर वर्णित किया गया है, को छोड़कर अन्य मामलों को आवेष्टित करती है।

कारावास की अवधि तब अधिक होती है जब कर की चोरी की गई राशि, लेकिन रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता का पता चलने पर एक लाख रुपये से अधिक हो जाती है। यदि अपीलकर्ताओं का याचना स्वीकार कर ली जाती है तो इसका मतलब यह होगा कि किसी दिए गए मामले में जहां उल्लंघन हुआ है और जहां धारा 139 की उप-धारा (1) के संदर्भ में या यहां तक कि उपधारा (2) के अनुसार, जारी किए गए नोटिस के जवाब में भी रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है, रिटर्न न दाखिल करने से होने वाले परिणाम समाप्त हो जाएंगे। प्रासंगिक समय पर धारा 139(4)(ए) रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देती है और समय सीमा खंड (बी) में प्रदान की गई है, और उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। धारा 276-सी सी धारा 139 की उप-धारा (1) और (2) के संबंध में "नियत समय" को संदर्भित करती है, न कि उप-धारा (4) को। यदि विधान मंडल का आशय उप-धारा (4) को भी शामिल करने का होता, तो केवल "धारा 139" में अभिव्यक्ति का उपयोग ही पर्याप्त होता। यह नहीं कहा जा सकता कि विधायिका ने बिना किसी उद्देश्य या मंशा के केवल उपधारा (1) और (2) को निर्दिष्ट किया है और उपधारा (4) को छोड़ दिया है, इसके पीछे कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं है। धारा 139 की उप-धारा (4) किसी भी तरह से उप-धारा (1) के संचालन को नियंत्रित नहीं कर सकती है, जिसमें रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित है। केवल यह तथ्य कि मूल्यांकन, आगे बढ़ाने और नुकसान की भरपाई करने

के प्रयोजनों के लिए इसे उप-धारा (1) या (2) के तहत एक क्षेत्रा के रूप में माना जाता है, इसे वास्तव में ऐसे ही एक दावा करने के लिए सेवा में नहीं रखा जा सकता है, हालांकि यह वस्तुतः और तथ्यतः इसके वैध उद्देश्य से आगे बढ़कर नहीं है।

क्या रिटर्न दाखिल करने में जानबूझकर विफलता हुई थी, यह एक ऐसा मामला है जिस पर अभियोजन मामले से निपटने वाले न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक रूप से निर्णय लिया जाना है। धारा 278-ई इसी उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

धारा - 278-ई- आपराधिक मनः स्थिति के बारे में उपधारणा-

(1) इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए किसी भी अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की ओर से आपराधिक मनःस्थिति की आवश्यकता होती है, अदालत ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व को मान लेगी, लेकिन अभियुक्त के लिए इस तथ्य को साबित करने के लिए एक बचाव होगा कि उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति उस अभियोजन में अपराध के आरोप के संबंध में नहीं थी।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा में, “दोषी मानसिक स्थिति में किसी तथ्य का आशय, हेतुक या ज्ञान या किसी तथ्य पर विश्वास या विश्वास करने का कारण शामिल है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी तथ्य को तभी साबित माना जाता है जब अदालत यह विश्वास करती है कि यह उचित संदेह से परे अस्तित्व में है, न कि केवल तब जब इसका अस्तित्व संभाव्यता की प्रबलता से स्थापित होता है।

धारा 278 - ई में एक वैधानिक उपधारणा प्रस्तावित है कि न्यायालय को आपराधिक मनःस्थिति के अस्तित्व को मानना होगा, और ऐसी मानसिक स्थिति की अनुपस्थिति को अपराध के आरोप के अभियोजन के संबंध में बचाव के रूप में एक आरोपी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा उजागर किए गए तथ्यात्मक पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया। यह विचारण का विषय है। जब मामला सुनवाई के लिए लिया जायेगा तो अपीलकर्ताओं के लिए यह निश्चित रूप से खुला होगा कि वे आपराधिक मानः स्थिति के अभाव की दलील दे सकें।

किसी भी कोण से देखने पर अपीलें निराधार हैं और खारिज की जाती हैं।

अपीलें खारिज।

एन.जे.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी बाल कृष्ण मिश्र (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।